भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NO AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/2017/38/169-72.

M/S LAND KART BUILDERS PVT LTD
D-42, Sector-55, Noida, Gautambudh Nagar, Uttarpradesh-201301

Date: 20-01-2017
Valid Upto: 19-01-2022

No Objection Certificate for Height Clearance

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations.

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

NOC ID :	**SAFD/NORTH/B/010617/190357**
Applicant Name*	**Goyal Associates**
Site Address*	**M/S LAND KART BUILDERS PVT LTD, PLOT NO. SC-02/A-1, SECTOR-150, NOIDA, UTTARPRADESH,Noida,Delhi,Delhi**
Site Coordinates*	**77 28 58.87-28 25 11.56, 77 29 01.96-28 25 14.14, 77 29 07.49-28 25 02.03, 77 29 14.18-28 25 08.00,**
Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	**195.31 M**
Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	**304.31 M**

*As provided by applicant

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The office incharge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994"

b. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

c. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules,1994.

d. No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation of 304.31 M, as indicated in para 2.

राजीव गांधी भवन सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली–110003 दूरभाष : 24632950
Rajiv Gandhi Bhawan Safdarjung Airport, New Delhi-110003 Phone: 24632950

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

e. Only use of oil fired or electric fired furnace is permissible, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.

f. The certificate is valid for a period of 5 years from the date of its issue. If the construction of structure/Chimney is not commenced within the period, a fresh 'NOC' from the Designated Officer of Airports Authority of India shall be obtained. However, if construction work has commenced, onetime revalidation request, for a period not exceeding 8 years from the date of issue of NOC in respect of building/structure and for a period not exceeding 12 years from the date of issue of NOC in respect of chimney, may be considered by AAI. The date of completion of the Structure should be intimated to this office.

g. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights

h. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

i. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in

j. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is to ensure the safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

k. This NOC has been issued w.r.t. the Civil Airports. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within their jurisdiction.

l. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.

m. In case of any dispute w.r.t site elevation and/or AGL height, top elevation in AMSL shall prevail.

20/01/17

J. S. SANDHU
General Manager (ATM), NR
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India
प्रचालन कार्यालय, गुड़गाँव रोड़, नई दिल्ली
Operational Offices, Gurgaon Road, New Delhi-37

Chairman NOC Committee

Region Name: NORTH

Address: General Manager Airports Authority of India, Regional Headquarter, Northern Region, Operational Offices, Gurgaon Road, New Delhi-110037

Email ID: noc_nr@aai.aero

Contact No: 011-25653551

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
कार्यालय परियोजना अभियन्ता (जल-राजस्व)
सैक्टर - 5, नौएडा

पत्र सॅ0ःनौएडा/प0अ0/जल- राजस्व/136/2015
दिनॉक- 25.06.2015

Lotus Greens Construction Pvt. Ltd.
SC-02/A Sector -150,
NOIDA

सॅदर्भ ः - आपका पत्र दिनॉक 23/06/2015

विषय ः भूखण्ड सॅख्या SC-02/A Sector -150 के जल व सीवर कनैक्शन के सम्बन्ध मे।

कृपया उपरोक्त सॅदर्भित पत्र के कम मे अवगत कराना है कि आप द्वारा जल व सीवर कनैक्शन हेतु वॉछित दस्तावेज(भूखण्ड से सम्बन्धित कागजात) प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि जमा करने पर जल व सीवर का कनैक्शन उपलब्ध कराया जायेगा।जल व सीवर कनेक्शन हेतु प्राधिकरण के नियम व शर्तो का पालन करना आपका दायित्व होगा।

(अतुल कुमार)
परियोजना अभियन्ता (जल-राजस्व)
नौएडा

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
कार्यालय परियोजना अभियन्ता (जल–राजस्व)
सैक्टर - 5, नौएडा

पत्र सं0ःनौएडा/प0अ0/जल- राजस्व/137/2015
दिनॉक- 25.06.2015

Allure Developers Pvt. Ltd.
SC-02/C Sector -150,
NOIDA

सॅदर्भ ः - आपका पत्र दिनॉक 23/06/2015

विषय ः भूखण्ड सॅख्या SC-02/C Sector -150 के जल व सीवर कनैक्शन के सम्बन्ध मे।

कृपया उपरोक्त सॅदर्भित पत्र के कम मे अवगत कराना है कि आप द्वारा जल व सीवर कनैक्शन हेतु वॉछित दस्तावेज (भूखण्ड से सम्बन्धित कागजात) प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि जमा करने पर जल व सीवर का कनैक्शन उपलब्ध कराया जायेगा। जल व सीवर कनेक्शन हेतु प्राधिकरण के नियम व शर्तो का पालन करना आपका दायित्व होगा।

(अतुल कुमार)
परियोजना अभियन्ता (जल–राजस्व)
नौएडा

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय परियोजना अभियन्ता (जल-राजस्व)

सैक्टर - 5, नौएडा

पत्र सं0ःनौएडा/प0अ0/जल- राजस्व//13 8/2015
दिनॉक- 25.06.2015

Elate Realtors Pvt. Ltd.
SC-02/B Sector -150,
NOIDA

संदर्भ ः - आपका पत्र दिनॉक 23/06/2015

विषय ः भूखण्ड सॅख्या SC-02/B Sector -150 के जल व सीवर कनैक्शन के सम्बन्ध मे।

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम मे अवगत कराना है कि आप द्वारा जल व सीवर कनैक्शन हेतु वॉछित दस्तावेज (भूखण्ड से सम्बन्धित कागजात) प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि जमा करने पर. जल व सीवर का कनैक्शन उपलब्ध कराया जायेगा। जल व सीवर कनेक्शन हेतु प्राधिकरण के नियम व शर्तो का पालन करना आपका दायित्व होगा।

(अतुल कुमार)
परियोजना अभियन्ता (जल-राजस्व)
नौएडा

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd.

D-107, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017

To,

Dated: - 13/05/2015

The Project Engineer
Office Project Engineer (Water)-2
Water Works Compound
Sector-37, Noida

Sub: - Plot No. SC-02/A, Sector-150, Noida

Dear Sir,

The captioned plot admeasuring 6,47,600.00 Sqm. has been leased to the Company by the Noida Authority for the execution of Sports City Group Housing Project.

Pursuant to Environmental clearance from the UP Pollution Control Board, it has been advised to seek permission from your office that the treated water from the STP would be adjoined with the **main sewage line**.

You are requested to issue the said permission.

Thanking you,

Yours truly,

For M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd.

(Auth. Sign.)

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

प्रपत्र-2

(नियम 24(1) देखें)

पंजीयन प्रमाण - पत्र

श्रम विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

पंजीयन संख्या- D10010943/2017-18/_______/ भ०औ०अ०सन्नि०कर्म० सत्यापन तिथि - 08/06/2017

कार्यालय उप/सहायक श्रमायुक्त, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उपधारा (3) के और अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमो के अधीन उपाबद्ध में अधिकथित शर्तो के अधीन रहते हुए LAND KART BUILDERS प्रा०लि० को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है :-

1. उस स्थान का डाक पता / अवस्थिति जहाँ नियोजक द्वारा निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य किया जाना है : प्लाट न-एस.सी-०२/ए-१ सेक्टर-१५० नॉएडा
2. नियोजक का नाम और पता जिसमें भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की अवस्थिति भी सम्मिलित है : सुशील कुमार , हाउस न-११ के, सेक्टर-४, राजा बाजार गोले मार्किट नई दिल्ली-११०००१
3. स्थापन का नाम और स्थायी पता : प्लाट न-एस.सी-०२/ए-१ सेक्टर-१५० नॉएडा , हाउस न-११ के, सेक्टर-४, राजा बाजार गोले मार्किट नई दिल्ली-११०००१
4. उस कार्य की प्रकृति जहाँ भवन निर्माण कर्मकार नियोजित है या नियोजित किये जाते है : कंस्ट्रक्शन वर्क
5. नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या : 499
6. कार्य प्रारंभ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख : 20/04/2017 से 19/04/2021
7. भवन निर्माण कर्मकारो के नियोजन के लिए सुसंगत अन्य विशिष्टियां

निम्न कार्य के लिए

कंस्ट्रक्शन वर्क

प्रधान नियोजन का नाम व पता

LAND KART BUILDERS प्रा०लि०

यहाँ ऊपर प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तो के अधीन है अर्थात :-

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अस्थानान्तारानीय होगा:

(ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापन में भवन निर्माण कर्मकारो की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या 10 से अधिक नही होगी:

(ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान के लिए संद्रत्त की हुई फीस अप्रतिदेय होगी !

(घ) भवन निर्माण संदत्त कर्मकारों के नियोजक द्वारा संज्ञेय मजदूरी दर ऐसे नियोजन में जहाँ वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 2) के अधीन निर्दिष्ट दरों से कम नही होगी और जहाँ दरें किसी करंट समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गयी है वह इस प्रकार नियत दरों से कम नही होगी !

(ङ) नियोजन अधिनियम और उनके अधीन बने नियमों के उपबंधो का अनुपालन करेगा !

CERTIFIED TRUE COPY

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
उ०प्र० भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार
(नियोजन...) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Land Kart Builders Private

बाल मजदूरी हटाये, बचपन बचाए.. कार्यालय:

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

संख्या 2009/17 | दिनांक 12/06/2012

उत्तर प्रदेश सरकार
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश जी–25ए, सेक्टर–03, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

संविदा श्रम(उत्सादन एवं विनियमन) अधिनियम 1970 की धारा–7 की उपधारा(2) तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन एतद्द्वारा **मैसर्स लैण्ड कार्ट बिल्डर्स प्रा0 लि0 प्लाट नं0 एससी–02/ए–1, सेक्टर–150, नोएडा, गौतमबुद्धनगर** को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी गयी है, दिया जाता है।

1. अधिष्ठान में दिये जाने वाले कार्य का प्रकार — **बिल्डिंग कन्सट्रक्शन।**

2. संविदाकारों का नाम तथा पता — **मैसर्स डी0ए0एम0ए0सी0 इन्फ्रा एल0एल0पी0।**

3. कार्य का प्रकार, जिसमें संविदा श्रमिक सेवायोजित हो अथवा सेवायोजित किये जाने वाले हो –

   कन्सट्रक्शन कार्य।

4. प्रत्येक संविदाकार द्वारा किसी दिन सेवायोजित किये जाने वाले संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या –

   499(चार सौ निन्यानव्वे मात्र)

5. **संविदा श्रमिक सेवायोजनों के सुसंगत अन्य विशिष्टियॉं**

   (अ) ठेकेदारों द्वारा जो कार्य कराया जाएगा वह संविदा श्रमि अधिनियम 1970 की धारा–10 के अन्तर्गत निषिद्ध किये जाने योग्य न होगा।

   (ब) यदि ठेकेदारों की संख्या नाम अथवा उनके द्वारा नियोजित होने वाले कर्मचारियों की संख्या में कोई परिवर्तन होगा, तो प्रतिष्ठान नियम 20 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन करायेगा।

   (स) संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 की धारा–21 के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों के सेवायोजक का यह उत्तरदायित्व होगा कि ठेकेदारों द्वारा सेवायोजित कर्मचारियों को भी उसी दिन वेतन का भुगतान किया जाए, और इस सम्बन्ध में 63 में 73 की व्यवस्थाओं का प्रतिपालन होगा। भुगतान के समय प्रतिष्ठान का सेवायोजक समस्त भुगतान अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में करायेगा जो ऐसा ही प्रमाण पत्र भुगतान रजिस्टर में अंकित करेगा।

   (द) नियम 82(2) में निर्धारित प्रपत्र–25 में वर्ष में एक बार वार्षिक विवरणी भी भेजेगा।

12/6/12

(डी0के0राम)
रजिस्ट्रीकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर
संविदा श्रम(उत्सादन एवं विनियमन) अधिनियम 1970
गौतमबुद्धनगर।

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on www.seiaaup.in

To,

Mr. Tapan Sangal,
Director,
M/s Lotus Greens Construction Pvt. Ltd.,
Lotus Business Park, 7 Floor,
Tower-B, Plot no- 8,
Sector-127, Noida, U.P.- 201301

Ref. No. 276 /Parya/SEAC/2901/2016 Date: 07 October, 2016

Sub: Bifurcation of E.C of Group Housing Project at Plot No-SC-02/A, Sector-150, Noida for proposed Group housing project at plot no- SC-02/A5, (Part of SC-02A), Sector-150, Noida of M/s Lotus Green Constriction Pvt. Ltd, Regarding.

Dear Sir,

Please refer to your application/letters 20-06-2016, 16-08-2016, 02-09-2016 & 19-09-2016 addressed to the Secretary, State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) and Director, Directorate of Environment Govt. of UP on the subject as above.

A presentation was made by project proponent alongwith their consultant M/s Ind Tech House Consult in the SEAC meeting dated 03-09-2016. The Project proponent, through documents (submitted to SEAC) and presentation made during meeting, has informed to the SEAC that:-

1. The environment clearance was accorded to M/S Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd. Vide letter dated 28th of October, 2015, Ref. No./233/PARYA/ SEAC/2901/2014/AD(H).
2. Total Plot Area and total Built up Area of proposed project also continues to remain 647600 sq. m, 1986644 sq. m respectively.
3. Total number of Residential towers and other facilities continues to remain same:
   - 101 Residential Towers
   - 10 Villas
   - 08 Facility Blocks,
   - one sports club, swimming pool,
   - Parks and parking facility for residents & visitors also.
   - Total dwelling units remain 9314.
   - Total Estimated Cost of project remains Rs 3207 Crores.
4. That, vide its letter dated 06/06/2016, ref no. NOIDA/Commercial/ 2016/471, Noida Authority has bifurcated the said plot into 'Special Purpose Vehicles' (SPV) being 100% subsidiaries of M/S Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd.
5. The said Plot SC02/A, bifurcated into 10 'Special Purpose Vehicles' (SPV), are SC02/A1 (83970 sqm), SC02/A2 (65331 sqm), SC02/A3 (27185 sqm), SC02/A4 (46846 sqm), SC02/A5 (8080 sqm), SC02/A6 (37915 sqm), SC02/A7 (50790 sqm), SC02/A8 (50560sqm), SC02/A9 (80857 sqm), SC02/A10 (94293 sqm) and the balance as SC02/A (101773 sqm) total admeasuring 647600 sq.m.
6. The above bifurcated 'Special Purpose Vehicles' (SPVs) are proposed to be developed under various National Brands under the development management model where in Lotus Greens continues to be the master developer.
7. Environmental & CRZ Clearance issued for setting up of Marine Facility at Salaya, Khambhaliya, Gujarat by M/s Essar Bulk Terminal (Salaya) Limited [F. No. 10-52/2007-IA-I II] vide letter No 10-52/2007-IA.III dated 17-08-2009 and letter No 10-52/2007-IA.III dated 25-11-2009 was bifurcated on the ground that there was no change in the environment impact and that the product was same and

CERTIFIED TRUE COPY

the bifurcated company was adhering to all the terms and conditions of the earlier environment clearance.

8. Project Proponent will develop the approved project through 10 SPVs and self , without any change of environmental impacts and condition of EC as approved Vide letter, Ref. no./233/PARYA/ SEAC/2901/2014/ AD(H) dated 28th of October, 2015
9. Compliances of the EC conditions will be complied by all the 'Special Purpose Vehicles' (SPVs)
10. Proposed Group Housing Project (Erstwhile Plot No-SC- 02/A, Sector-150. Noida and erstwhile project proponent M/S Lotus Green Construction Pvt. Ltd.), as approved by SEIAA, UP Vide letter dated 28th of October, 2015, Ref.No./233/PARYA/ SEAC/2901/2014/ AD(H) now, bifurcated as, SC 02/A1, SC 02/A2, SC 02/A3, SC 02/A4, SC 02/A5, SC 02/A6, SC 02/A7, SC 02/A8, SC 02/A9, SC 02/A10 & SC 02/A Sector-150. Noida will developed by 'Special Purpose Vehicles' (SPVs).
11. The project proponent requested to split the Environmental clearance issued to M/S Lotus Green Construction Pvt. Ltd. between the following 'Special Purpose Vehicles' (SPVs) as per the details given here after:
    a) M/s Land Kart Builders Pvt. Ltd, SC – 02/A1, Sec–150, Noida - 83970 sq. mtr.
    b) M/s Build Wall Builders Pvt. Ltd SC – 02/A2, Sec–150, Noida - 65,331 sq. mtr
    c) M/s Wiztown Planners Pvt. Ltd, SC – 02/A3, Sec-150, Noida - 27,185 sq. mtr.
    d) M/s Gray Wall Developers Pvt. Ltd SC – 02/A4, Sec-150, Noida - 46,846 sq. mtr.
    e) M/s Gray Brick Developers Pvt. Ltd SC – 02/A5, Sec-150, Noida - 8,080 sq. mtr.
    f) M/s Brick Town Developers Pvt. Ltd,SC – 02/A6, Sec-150, Noida - 37,915 sq. mtr.
    g) M/s Strongbiz Propbuild Pvt. Ltd, SC – 02/A7, Sec-150, Noida - 50790 sq. mtr.
    h) M/s Wish Land Buildzone Pvt. Ltd, SC – 02/A8, Sec-150, Noida - 50,560 sq. mtr.
    i) M/s Wondrous Buildmart Pvt. Ltd, SC – 02/A9, Sec-150, Noida - 80857 sq. mtr.
    j) M/s Escarpment Buildcraft Pvt. Ltd SC – 02/A10, Sec-150, Noida- 94,293 sq. mtr.
    k) M/s Lotus Green Constructions Pvt. Ltd SC -02A, Sec–150, Noida - 1,01,773 sq. mtr.
12. Project Salient Features (Pocket Wise Bifurcation):

To be Developed & Marketed by	Land Kart Builders Pvt. Ltd	Build Wall Builders Pvt. Ltd	Wiztown Planners Pvt. Ltd.	Gray Wall Developers Pvt. Ltd	Gray Brick Developers Pvt. Ltd.	Brick Town Developers Pvt. Ltd.	Strongbiz Propbuild Pvt. Ltd.	Wish Land Buildzone Pvt. Ltd	Wondrous Buildmart Pvt. Ltd	Escarpment Buildcraft Pvt. Ltd.	Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd.	Grand Total of 1 to 11	Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Description	SC-02/A1	SC-02/A2	SC-02/A3	SC-02/A4	SC-02/A5	SC-02/A6	SC-02/A7	SC-02/A8	SC-02/A9	SC-02/A10	SC-02/A After Bifurcation	Total of bifurcated part of plots	As Originally Approved EC
AREA DETAILS													
Plot	83	653	271	468	8080	379	507	505	808	9429	101773	647	647600

CERTIFIED TRUE COPY

Member Secretary

Land Kart Builders Private Limited

Area (SQM)	970	31	85	46		15	90	60	57	3		**600**	
Proposed Built Up Area (SQM)	315755	208798	35534	254856	9807	164347	160086	172858	217114	145713	301776	**1986644**	**1986644**
Cost of The Project (CR)	510	337	57	411	17	265	258	279	350	235	488	**3207**	**3207**
Height of Tallest Tower (M)	96	78	20	78	25	78	78	78	78	96	96	**96**	**96**
No. of Floors (NOS)	B+ST/28	B+ST/22	B+G/3	B+ST/22	B+G/4	B+ST/22	B+ST/22	B+ST/22	B+ST/22	B+ST/28	B+ST/28	**B+ST/28**	**B+ST/28**
Total Permissible Ground Coverage (28% Residl. + 2% Facility) (SQM)-194280												**194280**	**194280**
Total Proposed Ground Coverage (14%) (SQM)	11756	9146	6796	9369	2020	6825	6603	7078	8894	10383	11196	90066	90066
Permissible FAR Area 210 (200+ 5% for green rating) (SQM) 1359960												**1359960**	**1359960**
Total Proposed FAR Area (200.44) (SQM)	206376	136469	23225	166572	6001	107416	104632	112979	141904	95238	197239	**1298051**	**1298051**
Green Area Required (43.04% of Plot Area) (SQM) 278767												**278767**	**278767**
Total Green Area Proposed (54.95% of Plot Area) (SQM)	44504	32666	12233	21081	4040	17062	27935	27808	40429	56890	71239	**355887**	**355887**
Total No. of DU's	2268	792	Banquet Hall/Restaurent	968	Community	880	680	760	1716	234	1016	**9314**	**9314**

Member Secretary
U.P. Lucknow
CERTIFIED TRUE COPY
Land Kart Builders Private Limited

including villas (NOS)/Facility					Facility								
Residential Population	12524	4373		5345	-	4859	3755	4197	9476	1292	5610	**56242**	**56242**
Facilities Population	136	272	2503	136	383	136	137	234	136	504	234		
TOTAL WATER REQUIREMENT												**5200**	**5200**
Fresh Water Requirement (KLD)	749	260	35	319	8	290	220	248	565	80	331	**3105**	**3105**
Swimming Pool												**8**	**8**
Filter Back wash												**50**	**50**
Total Fresh Water Requirement (60.83% of total water) (KLD)						**3163**						**3163**	
Treated Water Requirement in Building (KLD)	248	90	21	110	5	102	80	88	198	32	116	**1090**	**1090**
Total Water Reqd for DG Cooling												**82**	**82**
Total Water Req for Gardening												**243**	**243**
Water req for Golf Course Irrigation												**562**	**562**
Air Conditioning												**60**	**60**
Total Treated Water Req.												**2037**	**2037**
Waste Water Generation (KLD)	853	302	46	365	10	330	258	285	645	95	385	**3574**	**3574**
STP Capacity (KLD) & Treatment at Shared STP	1020 .Dedicate d STP	475 Will be shared by SC02/A10	965 Will be shared by SC02/A 4 & SC02/A	0 Will share STP at SC02/A3	0 Will share STP at SC02/A8	0 Will share STP at SC02/A8	0 Will share STP at SC02/A8	1060 Will be shared by SC02/A5, SC02/A6 & SC02/A7	770 .Dedicated STP	0 Will share STP at SC02/A2	0 Will share STP at SC02/A3	**4290**	**4290**
Treated	682.	317.	636.	0	0	0	0	706.4	516	0	0	**2859**	**2859**

Member Secretary
U.P. Lucknow

Land Kart Builders Private Limited

CERTIFIED TRUE COPY

Water Available for Reuse (KLD)	4	6	8										
Surplus Treated Water (KLD)												**822**	**822**
RAIN WATER HARVESTING PIT DETAILS													
No. of RWH Pits Proposed (NOS)	21	16	7	12	2	9	13	12	20	23	25	**160**	**160**
PARKING													
Parking required as /bylaws (ECS)	2580	1706	290	2082	75	1344	1308	1412	1774	1323	2465	**16359**	**16359**
Parking Proposed (incl. Visitors + Sports) (ECS)	3488	2023	730	2470	514	1695	1580	1717	2461	1284	2832	**20794**	**20794**
Proposed Parking on Surface (ECS)	724	420	151	512	107	352	328	356	510	266	589	**4315**	**4315**
Proposed Parking in Stilt + Podium (ECS)	609	353	127	431	90	296	276	300	430	224	494	**3630**	**3630**
Proposed Parking in Basement (ECS)	2155	1250	451	1526	318	1047	976	1061	1521	794	1481	**12580**	**12580**
Proposed Parking	-	-	269	-	-	-	-	-	-	-	-	**269**	**269**

CERTIFIED TRUE COPY

in Sport Club Basement (ECS)													
Municipal Solid Waste Generation (TPD)	5.82	2.06	0.34	2.49	0.07	2.28	1.75	1.96	4.41	0.67	2.63	**24.48**	**24.48**
Quantity of e-waste generation (KG/DAY)	38.96	13.61	2.38	16.63	1.18	15.12	11.68	13.06	29.48	4.02	13.89	**160**	**160**
Quantity of Hazardous Waste Generation (LTS/ANNUM)	1010	606		1818				1616	1010			**6060**	**6060**
Quantity of Sludge generated from STP (KG/DAY)	313.29	141.72	264.57	0	0	0	0	329.96	237.04	0	0	**1286.6**	**1286.6**
POWER REQUIREMENT													
Total Power Requirement (KW)	6675	4414	752	5388	207	3475	3384	3654	4590	3081	6380	**42000**	**42000**
DG sets Backup (KVA)	4816	3185	542	3887	150	2507	2442	2636	3310	2222	4603	**30300**	**30300**
No of DG Sets of1010 kva	5	3		9				8	5			**30**	**30**

CERTIFIED TRUE COPY

13. An environmental clearance was issued for M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd. at Plot No-SC-02/A, Sector-150, Noida, U.P. Now, for development purposes, the project proponent had sought to develop the project to 11 companies including 10 subsidiaries and 01 parent company.
14. The Noida Authority has issued the development of the said plot through 100% subsidiaries of M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd.
15. Overall plot area, built up area, cost of the project, ground coverage, FAR, green area, water requirement, waste water generation, parking, and power requirement etc. continuous to remain the same though developed through the above subsidiaries. The parent company (M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd) shall be responsible for all the common area, roads, site development and common services, CSR, STP, RWH, Green development.
16. The project proponent through affidavit dated 19/09/2016 has submitted that due to current market scenario and lack of confidence of the investors it was decided to develop the said project through its subsidiaries in phases so that investors exposure remain in that particular subsidiary only and that M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd. (LGCPL) will be solely responsible for CSR commitment and complete compliance of environmental conditions.
17. The project proponent submitted the Noida Authority letter dated 06/06/2016 through which Noida Authority has conditionally accepted application of LGCPL related to development of the project through M/s LGCPL and its 12 subsidiaries. A list of subsidiaries has been attached with letter dated 06/06/2016 of Noida.
18. An affidavit dated 02/09/2016 has been submitted by M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd. which clearly mentioned that the company alongwith 10 subsidiary is proposing to develop the said group housing project at plot no. SC-02/A, Sector-150, Noida and its sub divided plots and till date no constructions have been done on the entire project site.
19. Copy of certificate of incorporation of SPV companies has been submitted alongwith certificate of holding relationship between LGCPL and its 10 SPVs.
20. Memorandum of understanding among all 10 SPVs and M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd. that M/s LGCPL will develop and maintain the entire services of the project have been submitted.
21. These SPVS are registered with the Registrar of Company, Kanpur as the subsidiaries of the LGCPL.
22. Distribution of towers among developers SPC/SPV has been submitted as follows:

To be Developed & Marketed by		Land Kart Builders Pvt. Ltd	Build Wall Builders Pvt. Ltd	Wiztown Planners Pvt. Ltd.	Gray Wall Developers Pvt. Ltd	Gray Brick Developers Pvt. Ltd.	Brick Town Developers Pvt. Ltd.	Strongbiz Propbuild Pvt. Ltd.	Wish Land Buildzone Pvt. Ltd	Wondrous Buildmart Pvt. Ltd	Escarpment Buildcraft Pvt. Ltd.	Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SN	Description	SC-02/A1	SC-02/A2	SC-02/A3	SC-02/A4	SC-02/A5	SC-02/A6	SC-02/A7	SC-02/A8	SC-02/A9	SC-02/A10	SC-02/A After Bifurcation
1	No. Residential Tower	20 Towers + Club + Commercial	09 Towers + Club + Commercial	F & B Block + Retail	11 Towers + Club + Commercial	Hospital	10 Towers + Club + Commercial	07 Towers + Club + Commercial	09 Towers + Club + Commercial	17 Towers + Club	05 Towers + 10 Villas/ F& B Block	13 Towers + Sports Club + F & B

CERTIFIED TRUE COPY

					+ Senior Living							Block

The SEAC deliberated that there is no need to consider the project to issue the EC as fresh, however, in light of Noida Authority letter dated 06/06/2016 and submissions made by the proponent regarding the project alongwith documents like CSR commitment by M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd., Copy of certificate of incorporation of SPV companies alongwith certificate of holding relationship between LGCPL and its 10 SPVs, commitment by M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd. regarding compliance of conditions stipulated in EC dated 28/10/2015, details regarding distribution of towers among M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd. and its 10 SPVs. The SEAC has no objection in allowing use of EC dated 28/10/2015 granted by SEIAA to Shri Manmeet Singh Batra, Authorized Signatory, M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd. 1204, Sector-A, Pocket-A, Vasant Kunj, New Delhi-110070 by M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd. and its 10 subsidiary companies as per the details given above for the development/implementation purposes subject to following conditions:

1. No change in layout of the project and other parameters shall be done in the proposals for which EC dated 28/10/2015 was granted to M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd. for development of Group Housing Project at SC-02/A, Sector-150, Noida. If any change is proposed in the proposal the project proponent shall comply the provision of EIA notification, 14, sept, 2006 (as amended) regarding obtaining of fresh Environmental Clearance.
2. Complete responsibility of compliance of all general and specific conditions stipulated in EC dated 28/10/2015 shall lie with proponent M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd. along with compliance of CSR planning and activities.
3. The proponent shall submit first compliance report within 03 months period.
4. In case of, any violation and breach of commitment made and conditions imposed in EC dated 28/10/2015 by M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd. or by any one of their 10 partners, the EC dated 28/10/2015 will automatically deem to be cancelled and any construction work continued after that shall be treated as violation of EC and necessary action will be initiated as per provision in MoEF, Govt. of India.

The SEAC in its meeting dated 20/8/2016 recommended that decision in the matter as above may be communicated to M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd. Copy of the same should be made to Noida Authority, District Administration, MoEF&CC and the 10 SPVs as proposed in the proposal made by the project proponent.

The recommendations of the SEAC meeting dated 20/8/2016 regarding the matter was considered in the State level Environment Impact Assessment Authority, UP (SEIAA) meeting dated 29-09-2016 and the SEIAA agreed with recommendations of the SEAC to grant the prior Environmental Clearance to the proposed project along with all the conditions as suggested by the SEAC. The SEIAA also directed the project proponent that all the legal responsibility pertaining to the M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd and its all 10 SPVs shall lie with the M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd.

No construction/operation is to be started without obtaining Prior Environmental Clearance. Concealing factual data and information or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions stipulated in the Prior Environmental Clearance attract action under the provision of Environmental (Protection) Act, 1986.

This Environmental Clearance is subject to ownership of the site by the project proponents in confirmation with approved Master Plan for G.B. Nagar. In case of violation, it would not be effective and would automatically be stand cancelled.

You are also directed to ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this permission shall automatically deem to be

Member Secretary
UP Lucknow

Land Kart Builders Private Ltd.

CERTIFIED TRUE COPY

cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this clearance shall automatically deemed to be cancelled.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issue of the clearance. The SEIAA/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of SEIAA/MoEF. SEIAA may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary. Necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity.

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in the matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14.9.2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

(S.C. Yadav)
Member Secretary, SEIAA

No................... /Parya/SEAC/2901/2016 Dated: As above

Copy with enclosure for information and necessary action to:

1. The Principal Secretary, Department of Environment, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Advisor, IA Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi.
3. Chief Conservator, Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. District Magistrate, G.B. Nagar .
5. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
6. Regional Officers, Regional Office, UP Pollution Control Board, G.B.Nagar.
7. New Okhla Industrial Development Authority Administrative Complex Sector 6, Noida.
8. M/s Land Kart Builders Pvt. Ltd, SC – 02/A1, Sec–150, Noida.
9. M/s Build Wall Builders Pvt. Ltd SC – 02/A2, Sec–150, Noida.
10. M/s Wiztown Planners Pvt. Ltd, SC – 02/A3, Sec-150, Noida.
11. M/s Gray Wall Developers Pvt. Ltd, SC – 02/A4, Sec-150, Noida.
12. M/s Gray Brick Developers Pvt. Ltd, SC – 02/A5, Sec-150, Noida.
13. M/s Brick Town Developers Pvt. Ltd, SC – 02/A6, Sec-150, Noida.
14. M/s Strongbiz Propbuild Pvt. Ltd, SC – 02/A7, Sec-150, Noida .
15. M/s Wish Land Buildzone Pvt. Ltd, SC – 02/A8, Sec-150, Noida.
16. M/s Wondrous Buildmart Pvt. Ltd, SC – 02/A9, Sec-150, Noida.
17. M/s Escarpment Buildcraft Pvt. Ltd, SC – 02/A10, Sec-150, Noida.
18. Copy to Web Master/ guard file.

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

(S.C. Yadav)
Member Secretary, SEIAA

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक:आर-- 60/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ-16(गौतम0)/380 दिनांक: अक्टूबर 25, 2016.

सेवा मे,

मुख्य वास्तुविद नियोजक,
नोएडा प्राधिकरण सेक्टर--06
गौतमबुद्धनगर।

विषय: **मैसर्स लैण्ड कार्ट बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा प्लाट न0-एस0सी0-02/ए0-1 सेक्टर-150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के (टावर ए0,बी0-1,बी0-2,सी0-1,सी0-2,कामर्शियल, स्पोर्ट ब्लॉक एवं कम्यूनिटी)कुल-20 टावरों के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भ: यूआईडी:2016/25127/जीवीएन/गौतमबुद्धनगर/5855/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-2 द्वारा किया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांक: 16-10-2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धगर ने उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र के माध्यम से कर संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई समस्त आख्याओ एवं मानचित्रों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- 1-प्रश्नगत भवन प्लाट एरिया-83,970.00 वर्ग मी0 है।

2-प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया-10,679.615 वर्ग मी0 है। प्रश्नगत पार्सल मे प्रस्तावित टावरों का एरिया विवरण निम्नवत है:-

क0स0	नाम टावर	तलों का विवरण	संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	स्टेयर की संख्या एवं चौड़ाई मी0।	ऊचाँई मी0।
01	टावर टाईप-ए0	बेस0,स्टिल्ट भूतल एवं 28 तल	07	458.798 प्रत्येक	437.857 प्रत्येक	02 अदद 01.50/01.25 प्रत्येक	87.60
02	टावर टाईप बी0-1	बेस0,स्टिल्ट भूतल एवं 28 तल	02	408.877 प्रत्येक	408.876 प्रत्येक	02 अदद 01.50/01.25 प्रत्येक	87.60
03	टावर टाईप बी0-2	बेस0,स्टिल्ट भूतल एवं 28 तल	04	407.841 प्रत्येक	407.841 प्रत्येक	02 अदद 01.50/01.25 प्रत्येक	87.60
04	टावर टाईप सी0-1	बेस0,स्टिल्ट भूतल एवं 22 तल	01	505.390	505.390	02 अदद 01.50/01.25	69.60
05	टावर टाईप सी0-2	बेस0,स्टिल्ट भूतल एवं 22 तल	06	503.831 प्रत्येक	503.831 प्रत्येक	02 अदद 01.50/01.25 प्रत्येक	69.60
06	कम्यूनिटी	भूतल एवं मेजेनाइन	--	622.246	225.776	02 अदद 01.50/0150	11.95
07	कामर्शियल	भूतल	--	435.080	--	02 अदद 01.50/0150	08.10
08	स्पोर्ट ब्लॉक	बेस0, भूतल एवं प्रथम तल	--	460.576	220.491/842.379	02 अदद 01.50/0150	11.95

बेसमेन्ट एरिया:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन मे एकल बेसमेन्ट प्रस्तावित है, जिसका बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-65,317.126 है। बेसमेन्ट की छत अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं के हेतु 45 टन भार वहन क्षमता की बनायी जानी अनिवार्य होगी।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 30 मीटर मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

2-प्रवेश द्वार:- प्रश्नगत भवन मे 02 अदद प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई 06.00 मी0 प्रत्येक मानको के अनुसार प्रस्तावित है।

3-सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-16.00 मी0।
बी0-पृष्ठ भाग-12.00 मी0।
सी0-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मी0।
डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-12.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य हैं।

3-निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे उपरोक्त तालिका के अनुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है तथा बेसमेन्ट मे 03 रैम्प प्रविधानित हैं तथा प्रस्तावित निकास मार्गो की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है, इण्टरनल स्टेयकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग-4 के

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Ltd.

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

बिन्दु संख्या–4.9 से 4.9.10 तक तथा एक्सटरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.11 से 4.11.11 तक के अनुसार एवं रैम्प का निर्माण एनबी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.14.1 से 4.14.3 के अनुसार किया जायेगा।

4–रिफ्यूज एरिया:– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:– एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–होजरील/डाउनकमर:– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाईप एवं ब्रान्च पाईप एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित/वॉच्छनीय है।

2–भूमिगत:–प्रश्नगत परिसर मे अग्निशमन कार्यो हेतु 2,75,000 दो लाख पिच्छत्तर हजार लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

3–पम्पस:– प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित/वॉच्छनीय हैं। जिनका हैड भवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।

4–टेरिस टैंक:–प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–वेटराईजर:– प्रस्तावित भवन मे वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–यार्ड हाईड्रेन्टस:– प्रस्तावित भवन मे रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेन्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:–प्रश्नगत भवन के दोनो बेसमेन्ट सहित सम्पूर्ण भवनों के समस्त तलो पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:– भवन के समस्त टावरो मे ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित/वॉच्छनीय है।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–स्मोक एक्स्ट्रेक्शन:– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–एग्जिट साईनेज:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–पी0ए0 सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–कम्पार्टमेन्टेशन:– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15–प्रेशराईजेशन:– प्रश्नगत भवन मे आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन एनबी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.10 से 4.10.7 के निर्देशानुसार किया जायेगा।

15–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

16–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट–4 के प्रस्तर सी0–5,सी–6,सी–7,सी–8 एवं सी–9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

17–भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स लैण्ड कार्ट बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा प्लाट न0–एस0सी0–02/ए0–1 सेक्टर–150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के (टावर ए0,बी0–1,बी0–2,सी0–1,सी0–2,कामर्शियल, स्पोर्ट ब्लॉक एवं कम्यूनिटी) कुल–20 टावरों के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि: 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–2 जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4–मैसर्स लैण्ड कार्ट बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा प्लाट न0–एस0सी0–02/ए0–1 सेक्टर–150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

Accelerating Growth, Creating Employment

CII
Confederation of Indian Industry

Indian Green Building Council

Confederation of Indian Industry
CII – Sohrabji Godrej Green Business Centre
Survey No 64, Near Kothaguda Cross Roads
Kothaguda Post, R R District,
Hyderabad – 500084
Tel: 91-40-44185111 Fax: 91-40-44185189
Email: igbc@cii.in
Website: www.greenbusinesscentre.com ;
www.igbc.in

8 August 2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to confirm that the **Land Kart Builders Private Limited** has registered their project "Land Kart Builders Private Limited, Noida" with IGBC Green Homes Rating System on 3 August 2016.

The project registration number is **"IGBCGH160991"**.

Prem C Jain
Chairman
Indian Green Building Council

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Ltd.

बेसमेन्ट के निर्माण में निकले उपखनिज की निकासी हेतु
अनुमति–पत्र

मैसर्स लैण्ड कार्ट बिल्डर्स प्रा0लि0 पता ई 118 सेक्टर 21 नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर के प्लाट सं0– एस सी 02/ए सेक्टर 150 नोएडा गौतमबुद्धनगर के बेसमेन्ट ऐरिया 20000 वर्गमीटर भाग में 2.50 मीटर गहराई तक बेसमेन्ट का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसमें 2.50 मीटर गहराई तक 50000 घनमीटर सा0 मिट्टी का खनन होगा, जिसकी वर्तमान रायल्टी दर रू0 30/– प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी अंकन रु0 15,00,000/–होती है। इस प्रकार आवेदक द्वारा रायल्टी की कुल धनराशि रु0 15,00,000/– का भुगतान कर दिया गया है। एतद्द्वारा जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 17.05.2017 द्वारा 03 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुये उपखनिज हटाने की अनुमति दी जाती है।

भूमि का ब्यौरे

क्रम सं0	तहसील	प्लाट संख्या	बेसमेन्ट एरिया का विवरण
1.	------	प्लाट सं0– एस सी 02/ए सेक्टर 150 नोएडा गौतमबुद्धनगर	उक्त प्लाट का बेसमेन्ट ऐरिया 20000 वर्गमीटर भाग में 2.50 मीटर गहराई तक।

स्थानः गौतमबुद्धनगर
दिनांक 19/05/2017 से 18/08/2017 तक

शर्ते

1. अनुमति धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
2. अनुमति धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वृक्षों पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।
3. अनुमति धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. उपखनिज का परिवहन जिलाधिकारी (खनन कार्यालय) द्वारा निर्गत प्रपत्र एमएम–11 पर ही किया जायेगा।
5. अनुमति पत्र में निर्धारित मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी, तक ही मान्य होगी।
6. प्रत्येक 07 दिन में उपखनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. एमएम–11 की बुको को प्रयोग करने के तुरन्त बाद कार्यालय प्रतिपर्ण एवं अवशेष एमएम–11 कार्यालय में जमा करायेगें तथा खनन स्थल से निकलने वाले वाहन खनिज को तिरपाल से ढककर ही शहर के अन्दर परिवहन करें।
8. बेसमेन्ट निर्माण के दौरान निकले उपखनिज की निकासी का कार्य सुरक्षात्मक उपाय बेरिकेटिंग आदि लगाकर इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू–भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुंचे और यदि क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
9. यदि उपखनिज की निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की रायल्टी का आंकलन किया जायेगा जो आवेदक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देना होगा।
10. यदि भवन परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना स्थल से किये गये उपखनिज का प्रयोग परियोजना में अथवा परियोजना स्थल के बाहर किसी कार्य हेतु किया जाता है तो पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या 2557/पर्या0/एस0ई0ए0सी0/साधारण मिट्टी खनन/2012 में दिये गये बिन्दु संख्या–5 में दिये गये **Safeguards** को कडाई से अपनाया जाना होगा।
11. अनुमतिधारक द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्णय का अनुपालन करते हुए एवं वन भूमि के अन्तर्गत सभी प्रकार के विधिक रूप से मान्यता प्राप्त (स्टेच्यूटरी रिकगनाईज्ड) वन (चाहे वह आरक्षित या संरक्षित या किसी अन्य नामों (डिजिग्नेटेड) से हो) क्षेत्रों में खनन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. जिला खनन अधिकारी द्वारा सत्यापन करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनिज ले जाने के लिये जारी किये गये रवन्ना का उपयोग स्वीकृत किये गये क्षेत्र से निकाले गये खनिज के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है तथा एक प्रकार के वाहन के लिए किये गये प्रपत्रों का दूसरे प्रकार के वाहनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिस भू–खण्ड हेतु अनुमति दी जा रही है, उस भू–खण्ड से निर्धारित मात्रा में खनिज निकालने हेतु जारी किये गये रवन्ना का प्रयोग किसी और जगह से अवैधानिक रूप से निकाले गये खनिज में किया जाना पाया जाता है तो अविलम्ब उक्त गैर विधिक कार्य करने वालों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की जायेगी तथा उक्त वाहन एवं खनिज को सीज किया जायेगा।
13. अनुमति देने के उपरान्त निर्धारित अंतराल में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अनिवार्य रूप से हर सप्ताह निरीक्षण किया जायेगा तथा गठित टास्क फोर्स उक्त स्थल पर खनन की जा रही खनिज (Mineral) का प्राथमिक अनुमान लगाकर उक्त मात्रा का अकंन भी करेगी अर्थात टास्क फोर्स अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त समय समय पर निरीक्षण करते हुए खनन की जा रही मात्रा एवं गहराई की जॉच करेगी तथा यदि अनुमति में दिये गये क्षेत्रफल एंव गहराई की मात्रा से ज्यादा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है तो सम्बन्धित अवैध खनन करने वाले अनुमति धारक व अन्य के विरूध प्राथमिकी दर्ज करायेगी। तथा उक्त को अवैध खनन मानते हुए उक्त खनिज को सीज करते हुए नियमानुसार निस्तारण करेगी।
14. शासन द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो के अधीन जिन आवेदन कर्ताओं को अनुमति मिली है उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि जितना गहराई तथा जितना मात्रा हेतु खनन अनुमति मिली है और जिस खनिज हेतु अनुमति मिली है उसकी शत प्रतिशत रायल्टी जमा करके नियमानुसार उक्त बेसमेन्ट की खनिज की निकासी करेगा इस प्रकिया में किसी व्यक्ति अधिकारी/कर्मचारी द्वारा या किसी अन्य द्वारा किसी तरह का दवाव या धन उगाही या गुंडा टैक्स जैसी अवैध वसूली की जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति/अनुमति धारक द्वारा खनन अधिकारी को तत्काल सूचित किया जायेगा उक्त सूचना या स्वंय द्वारा किये जा रहे निरंतर निरीक्षण के आधार पर खनन अधिकारी द्वारा अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। अगर खान अधिकारी द्वारा उक्त आवश्यक कार्यवाही नही की जाती हैं तो अनुमति धारक द्वारा स्वंय या प्रभारी अधिकारी खनन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी उक्त प्राथमिकी दर्ज कर उसपर अविलंब आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित थानाध्यक्ष की होगी।

कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म जनपद गौतम बुद्ध नगर

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private

Scanned by CamScanner

15. अनुमति धारक द्वारा सम्बन्धित भूखण्ड से निकाली गयी खनिज का परिवहन जिन वाहनों द्वारा किया जायेगा उनका विवरण सम्बन्धित भूखण्ड स्वामी द्वारा प्रमाणित रजिस्टर में मेन्टेन किया जायेगा जिसका निरीक्षण समय समय पर टास्क फोर्स एवं खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के पत्र संख्या 904/एस0टी0–डी0एम0/2014 दिनांक 25.3.2014 एवं पत्र संख्या 910/एस0टी0–डी0एम0 /2014 दिनांक 29.3.2014 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. अनुमति धारक का यह मूल दायित्व होगा कि वह अपने द्वारा योजित किये जाने वाले कर्मचारियों का चरित्र सत्यापित करायेगा तथा किसी भी अपराधिक व्यक्ति को इस कार्य में योजित नही करेगा।
17. अनुमति धारक का यह भी दायित्व होगा कि यदि उनके द्वारा योजित कोई कर्मचारी कोई त्रुटि या शर्तो का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तब ऐसे कर्मचारी का कृत्य ठेकेदार का कृत्य समझा जायेगा और अनुमति पत्र की शर्तो के उल्लंघन के आधार पर उनके विरूद्ध नियमानुसार उक्त शर्तो का उल्लंघन से सम्बन्धित प्रचलित विधियों के अनुसर कार्यवाही की जायेगी।
18. यदि अनुमति धारक अनुमति पत्र में दी गई शर्तो के अनुरूप कार्य न करके, शर्तो का उलंघन करता है तो अनुमति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
19. उपखनिजों के परिवहन का ठीक लेखा–जोखा (यथा वाहन संख्या, उपखनिज का नाम, मात्रा एवं गन्तव्य स्थान) खनन स्थल पर पंजिका (रजिस्टर) में दर्ज किया जायेगा तथा आकस्मिक निरीक्षण के समय खनन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा जॉच हेतु उपलब्ध कराया जाये।

जिला खनन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।
पत्रांकः 188 /खनिज लिपिक/2017 दिनांक 19/05/2017
प्रतिलिपिः
1 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
2 वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
3. प्रभारी अधिकारी खनिज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4 उप जिलाधिकारी दादरी/क्षेत्राधिकारी जिला गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक– 904/ए0टी0/दिनांक–25.03.2014 द्वारा गठित टास्क फोर्स के साथ निरीक्षण कर शर्तों/प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
5 जिला खनन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि अनुज्ञा पत्र में स्वीकृत के दौरान समय अन्तराल पर निरीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
6 संबंधित थानाध्यक्ष, जनपद गौतमबुद्धनगर।
7 मेसर्स लैण्ड कार्ट बिल्डर्स प्रा0लि0 पता ई 118 सेक्टर 21 नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर को प्लाट सं0– एस सी 02/ए सेक्टर 150 नोएडा गौतमबुद्धनगर हेतु अनुपालनार्थ।

जिला खनन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

Scanned by CamScanner

बेसमेन्ट के निर्माण में निकले उपखनिज की निकासी हेतु
अनुमति–पत्र

मेसर्स लैण्ड कार्ट बिल्डर्स प्रा0लि0 पता इं 118 सेक्टर 21 नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर के प्लाट सं0– एस सी 02/ए सेक्टर 150 नोएडा गौतमबुद्धनगर के बेसमेन्ट ऐरिया 20000 वर्गमीटर भाग में 2.50 मीटर गहराई तक खनन की अनुमति चाही गई है। जिसमें सम्भावित 2.50 मीटर गहराई तक 50000 घनमीटर साधारण मिट्टी का खनन किया जायेगा। 50000 घ0मी0 साधारण मिट्टी की रायल्टी की दर रू0 30/– प्रति घ0मी0 की दर से रू0 15,00,000/– होती है। इस प्रकार कुल रायल्टी रू0 15,00,000/– होती है जिसे अग्रिम रूप से लेखा शीर्षक 0853 अलौह खनन एवं धातुकर्म में भुगतान कर दिया गया है। एतद्द्वारा जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 29.06.2017 द्वारा 03 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये उपखनिज हटाने की अनुमति दी जाती है।

भूमि का ब्यौरे

क्रम सं0	तहसील	प्लाट संख्या	बेसमेन्ट एरिया का विवरण
1	-------	प्लाट सं0–एस सी 02/ए सेक्टर 150 नोएडा गौतमबुद्धनगर	उक्त प्लाट का बेसमेन्ट ऐरिया 20000 वर्गमीटर है जिसकी गहराई 2.50 मीटर है।

स्थानः गौतमबुद्धनगर

दिनांक 06/07/2017 से 05/10/2017 तक

शर्तें

1. अनुमति धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
2. अनुमति धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वृक्षों पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।
3. अनुमति धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. उपखनिज का परिवहन जिलाधिकारी (खनन कार्यालय) द्वारा निर्गत प्रपत्र एमएम–11 पर ही किया जायेगा।
5. अनुमति पत्र में निर्धारित मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी , तक ही मान्य होगी।
6. प्रत्येक 07 दिन में उपखनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. एमएम–11 की बुको को प्रयोग करने के तुरन्त बाद कार्यालय प्रतिपर्ण एवं अवशेष एमएम–11 कार्यालय में जमा करायेगें तथा खनन स्थल से निकलने वाले वाहन खनिज को तिरपाल से ढककर ही शहर के अन्दर परिवहन करें।
8. बेसमेन्ट निर्माण के दौरान निकले उपखनिज की निकासी का कार्य सुरक्षात्मक उपाय बेरिकेटिंग आदि लगागर इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू–भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुंचे और यदि क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
9. यदि उपखनिज की निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की रायल्टी का आंकलन किया जायेगा जो आवेदक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देना होगा।
10. यदि भवन परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना स्थल से किये गये उपखनिज का प्रयोग परियोजना में अथवा परियोजना स्थल के बाहर किसी कार्य हेतु किया जाना है तो पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या 2557/पर्या0/एस0ई0ए0सी0/साधारण मिटटी खनन/2012 में दिये गये बिन्दु संख्या–5 में दिये गये **Safeguards** को कड़ाई से अपनाया जाना होगा।
11. अनुमतिधारक द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्णय का अनुपालन करते हुए एवं वन भूमि के अन्तर्गत सभी प्रकार के विधिक रूप से मान्यता प्राप्त (स्टेच्यूटरी रिकगनाईज्ड) वन (चाहे वह आरक्षित या संरक्षित या किसी अन्य नामों (डिजिग्नेटेड) से हो) क्षेत्रों में खनन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. जिला खनन अधिकारी द्वारा सत्यापन करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनिज ले जाने के लिये जारी किये गये रवन्ना का उपयोग स्वीकृत किये गये क्षेत्र से निकाले गये खनिज के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है तथा एक प्रकार के वाहन के लिए किये गये प्रपत्रों का दूसरे प्रकार के वाहनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिस भू–खण्ड हेतु अनुमति दी जा रही है, उस भू–खण्ड से निर्धारित मात्रा में खनिज निकालने हेतु जारी किये गये रवन्ना का प्रयोग किसी और जगह से अवैधानिक रूप से निकाले गये खनिज में किया जाना पाया जाता है तो अविलम्ब उक्त गैर विधिक कार्य करने वालों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की जायेगी तथा उक्त वाहन एवं खनिज को सीज किया जायेगा।
13. अनुमति देने के उपरान्त निर्धारित अंतराल में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अनिवार्य रूप से हर सप्ताह निरीक्षण किया जायेगा तथा गठित टास्क फोर्स उक्त स्थल पर खनन की जा रही खनिज (Mineral) का प्राथमिक अनुमान लगाकर उक्त मात्रा का अकंन भी करेगी अर्थात टास्क फोर्स अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त समय समय पर निरीक्षण करते हुए खनन की जा रही मात्रा एवं गहराई की जॉच करेगी तथा यदि अनुमति में दिये गये क्षेत्रफल एंव गहराई की मात्रा से ज्यादा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है तो सम्बन्धित अवैध खनन करने वाले अनुमति धारक व अन्य के विरूध प्राथमिकी दर्ज करायेगी। तथा उक्त को अवैध खनन मानते हुए उक्त खनिज को सीज करते हुए नियमानुसार निस्तारण करेगी।
14. शासन द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों के अधीन जिन आवेदन कर्ताओं को अनुमति मिली है उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि जितना गहराई तथा जितना मात्रा हेतु खनन अनुमति मिली है और जिस खनिज हेतु अनुमति मिली है उसकी शत प्रतिशत रायल्टी जमा करके नियमानुसार उक्त बेसमेन्ट की खनिज की निकासी करेगा इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति अधिकारी/कर्मचारी द्वारा या किसी अन्य द्वारा किसी तरह का दबाव या धन उगाही या गुंडा टैक्स जैसी अवैध वसूली की जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति/अनुमति धारक द्वारा खनन अधिकारी को तत्काल सूचित किया जायेगा उक्त सूचना या स्वय द्वारा किये जा रहे निरंतर निरीक्षण के आधार पर खनन अधिकारी द्वारा अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। अगर खान अधिकारी द्वारा उक्त आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है तो अनुमति धारक द्वारा स्वंय या प्रभारी अधिकारी खनन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी उक्त प्राथमिकी दर्ज कर उसपर अविलंब आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित थानाध्यक्ष की होगी।

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

15. अनुमति धारक द्वारा सम्बन्धित भूखण्ड से निकाली गयी खनिज का परिवहन जिन वाहनों द्वारा किया जायेगा उनका विवरण सम्बन्धित भूखण्ड स्वामी द्वारा प्रमाणित रजिस्टर में मेन्टेन किया जायेगा जिसका निरीक्षण समय समय पर टास्क फोर्स एवं खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के पत्र संख्या 904/एस0टी0-डी0एम0/2014 दिनांक 25.3.2014 एवं पत्र संख्या 910/एस0टी0-डी0एम0 /2014 दिनांक 29.3.2014 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. अनुमति धारक का यह मूल दायित्व होगा कि वह अपने द्वारा योजित किये जाने वाले कर्मचारियों का चरित्र सत्यापित करायेगा तथा किसी भी अपराधिक व्यक्ति को इस कार्य में योजित नहीं करेगा।
17. अनुमति धारक का यह भी दायित्व होगा कि यदि उनके द्वारा योजित कोई कर्मचारी कोई त्रुटि या शर्तो का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तब ऐसे कर्मचारी का कृत्य ठेकेदार का कृत्य समझा जायेगा और अनुमति पत्र की शर्तो के उल्लंघन के आधार पर उनके विरूद्ध नियमानुसार उक्त शर्तो का उल्लंघन से सम्बन्धित प्रचलित विधियों के अनुसर कार्यवाही की जायेगी।
18. यदि अनुमति धारक अनुमति पत्र में दी गई शर्तो के अनुरूप कार्य न करके, शर्तो का उलंघन करता है तो अनुमति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
19. उपखनिजों के परिवहन का ठीक लेखा-जोखा (यथा वाहन संख्या, उपखनिज का नाम, मात्रा एवं गन्तव्य स्थान) खनन स्थल पर पंजिका (रजिस्टर) में दर्ज किया जायेगा तथा आकस्मिक निरीक्षण के समय खनन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा जॉच हेतु उपलब्ध कराया जाये।

06/07/17

भूवैज्ञानिक/जिला खनन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।
पत्रांक: 388 /खनिज लिपिक/2017 दिनांक 06/07/2017
प्रतिलिपि:
1 निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
2 वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
3. प्रभारी अधिकारी खनिज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4 उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी जिला गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक-904/ए0टी0/दिनाक-25.03.2014 द्वारा गठित टास्क फोर्स के साथ निरीक्षण कर शर्तो/प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
5 जिला खनन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि अनुज्ञा पत्र में स्वीकृत के दौरान समय अन्तराल पर निरीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6 संबंधित थानाध्यक्ष, जनपद गौतमबद्धनगर।
7 मेसर्स लैण्ड कार्ट बिल्डर्स प्रा0लि0 पता ई 118 सेक्टर 21 नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर के प्लाट सं0- एस सी 02/ए सेक्टर 150 नोएडा गौतमबुद्धनगर हेतु अनुपालनार्थ।

भूवैज्ञानिक/जिला खनन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

JAMIA MILLIA ISLAMIA

(A Central University by an Act of Parliament)

Faculty of Engineering and Technology

Maulana Mohammed Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025
Tel.: 26985227, 26981717 Ext. 2310, 2312, 2313. Tele Fax: 26981261

Department of Civil Engineering

Reference No 3015/1712 Date 15.09.2016

Report on Vetting of Design

It is Certified that the Submission Drawings and Structural Design for Resi Tower Type-A (Basement +Stilt+28 floors),Resi Tower Type-B1 (Basement +Still +28floors), Resi. Tower Type-B2 (Basement +Stilt +28 floors), Resi tower Type-C1 (Basement+stilt+22 floors) Resi Tower Type-C2 (Basement +Stilt +22 floors), CommunityBuilding (Gr+MEZZ Floors),Commercial (Ground) & Sports Club (Basement+Gr +1) Floors of Purposed Sports City project as per the area given in annexure -1, M/S Land Kart Builders Pvt.Ltd. at Plot NO. SC -02/A1, Sector-150.Noida (U.P) have been checked and found to be conforming to the requirements of relevant Codes of practice as per the latest Indian standards and national building code. All the Stipulated combination of Gravity Loads and Lateral Loads (earthquake /Wind) have been considered and dully incorporated in the analysis and design. The design is carried out as per the provisionsof IS:1893 and ductile detailing has been followed as per provisions of IS :13920. The Structural Drawings have been checked both for design as well as Detailing and found to be satisfactory and hence approved.

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private

Dr. Khalid Moin
(Professor)

Professor
Deptt. of Civil Engg. [illegible]
F/O Engineering & [illegible]
Jamia Millia Islamia
New Delhi-110025

JAMIA MILLIA ISLAMIA
(A Central University by an Act of Parliament)

Faculty of Engineering and Technology
Maulana Mohammed Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025
Tel.: 26985227, 26981717 Ext. 2310, 2312, 2313, Tele Fax: 26981261

Department of Civil Engineering

Annexure -1

Land Kart Builders Pvt. Ltd. at sport city Plot No. SC-02/A1 Sector- 150, Noida (UP)

Area Detail:

Total Plot Area = 83,970.00 sqm.

FAR Area =205564.048sqm.

Service Area (15% of FAR) = 33699.621sqm.

Stilt Area = 4385.686sqm.

Basement Area =65317.126sqm.

Total Built – up Area =308966.481sqm.

Area of Blocks (FAR + NON FAR):

Resi Tower Type 'A' (S + 28)=12468.585sqm.

Resi Tower Type 'B1' (S + 28) =11640.942sqm

Resi Tower Type 'B2' (S + 28)=11611.961sqm

Resi Tower Type 'C1' (S + 22) =11350.816sqm

Resi Tower Type 'C2' (S + 22)=10956.369sqm

Community Building =923.128sqm

Commercial (Gr.) =435.080sqm

Sports Club =1618.263sqm

Dr. Khalid Moin
(Professor)

Dr. KHALID MOIN
Professor
Deptt. of Civil Engineering
F/O Engineering & Technology
Jamia Millia Islamia
New Delhi-110025

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट

सैक्टर--19 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

पत्र संख्या-- 1910 /एस0टी0--सी0एम0/2016
दिनांकः 16 जुलाई, 2016

प्रबन्धक/स्वामी
Land Kart Builders Pvt. Ltd,
D-107, Panchsheel,Enclave,
New Delhi

विषय :-- तरण ताल के निर्माण हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रमण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा Plot No.SC-02/A1, Sector-150, Noida में स्वीमिंग Pool Area = 782.530 Sqmt में बनाये जाने की अनुमति चाही गयी है। उक्त के संबंध में प्रभारी क्रीड़ाधिकारी गौतमबुद्धनगर की आख्या/पत्र दिनांक 14.07.2016 के कम में प्रस्तावित स्थान पर निम्न व्यवस्थायें कराये जाने की शर्तो के आधार पर स्वीमिंग पूल के निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है।

शर्तें :--

1. पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिये।
2. पूल पर वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट का होना अनिवार्य है।
3. स्वीमिंग पूल की क्षमता के अनुपात में दो फिल्टर प्लान्ट होना अनिवार्य है।
4. स्वीमिंग पूल की डैक की टाईल्स स्काई ब्लू होनी चाहिये।
5. पानी निकासी का उचित प्रवन्ध होना चाहिये।
6. स्वीमिंग पूल के अन्दर की टाइल्स स्काई ब्लू होनी चाहिये।
7. स्वीमिंग पूल बनाते समय स्वीमिंग पूल की गहराई अवश्य अंकित करें कि गहराई 08 फिट से अधिक न हों।
8. स्वीमिंग पूल के अन्दर जाने के लिये एक ही दरवाजा होना चाहिये।
9. स्वीमिंग पूल के चारों ओर की ऊँचाई कम से कम 05 फिट होनी चाहिये।
10. समय--समय पर जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तें स्वीमिंग पूल के निर्माण से सम्बन्धित हैं, अतः स्वीमिंग पूल का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त उसके संचालन के लिये अलग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के संचालन किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(बच्चू सिंह)
नगर मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर।

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Ltd.

पत्रावली संख्या - IV – 1500

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/2016/ IV – 1500/934
दिनांक: 24/10/2016

सेवा में,

M/s Land Kart Builders Pvt. Ltd.,
Subsidary of M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd.,
Lotus Business Park, 7th Floor,
Tower - B, Plot No - 8, Sector-127,
Noida

आपके प्रार्थना पत्र **दिनांक 18.10.2016** के संदर्भ में आपके द्वारा प्रस्तावित **स्पोर्ट सिटी भूखण्ड संख्या एस0सी0 - 02/ए - 1, सैक्टर - 150,** नौएडा पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (मान्य निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिडकियॉ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सडक पर अथवा बैक लेन में कोई रैम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

15. स्वीकृत ले-आउट प्लान की स्वीकृति पत्र सं0 नौएडा/मु0वा0नि0/2015 IV-1451/780 दिनांक 16.04.2015 एवं सब लीज भूखण्ड एस0सी0 - 02/ए, सैक्टर - 150 के भवन मानचित्र स्वीकृति पत्र सं0 नौएडा/मु0वा0नि0/IV-1458/787, दिनांक 12.05.2015 के सभी नियम/प्रतिबन्ध एवं शर्ते आदि यथावत पूर्णरूप से लीज धारक पर भी लागू होगी तथा इस स्वीकृति का अभिन्न भाग रहेगा ।
16. ब्रोशर, लीजडीड,सबलीज डीड, महायोजना, बिल्डिंग रेगूलेशन्स आदि के यथा संशोधित अध्यावधिक नियम, शर्तो, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेगे ।
17. यह स्वीकृति सदा सम्पूर्ण स्पोर्ट सिटी की योजना के एकीकृत भाग के रूप में ही मान्य होगी तथा स्वतंत्ररूप से इस प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति का कोइ अस्तित्व नही रहेगा ।
18. स्पोर्ट सिटी की परियोजना के लिए ब्रोशर/लीज डीड में पृष्ठ 9 से 11/सी पर अंकित सुविधाओं के विकास एवं वित्तीय परिव्यय के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने का दायित्व/सह दायित्व मूल लीज डीड धारक एवं सब लीज डीड धारक का संयुक्त रूप से रहेगा ।
19. मनोरंजन(खेल, संस्थागत, अन्य सुविधाओं) के अनउपयोगित एफ0ए0आर0 **26,428.00 वर्ग मी0 (जो कि संदर्भित योजना के आवासीय एफ0ए0आर0 का 12.98% है)** आवासीय उपयोग से स्थानान्तरित कर निर्मित एवं उपयोग करने हेतु मनोरंजन घटक की सभी कार्य एवं सुविधाओं के गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा, जिसको सबलीज डीड धारक के हिस्से में आने वाले भाग को मानचित्र में प्रस्तावित आवासीय निर्माण में फेस-2 के रूप में दर्शाया गया है । इससे पूर्व इस भाग की स्वीकृति मात्र प्रतीकात्मक रूप में ही मान्य होगी ।
20. प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
21. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नही किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग/भू–जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू–जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू–जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा ।
22. यह स्वीकृति स्पोर्ट सिटी भूखण्ड पंजीकरण एवं आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका की नियम एवं शर्ते/लीज़ डीड की शर्ते/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली -2010 के सुसंगत यथा प्रभावी प्राविधानों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा में यह स्वीकृति स्वत: निरस्त मानी जायेगी।
23. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन्स तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमन्य कियायें एवं उपयोग तथा उसके सपोटिंग यूज़ में अनुमन्य कियायें एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नही होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
24. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के कियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर कियाशील किए जाने तक सतत् समीक्षा की जायेगी
25. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज़ डीड की शर्तो एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी ।
26. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशो, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
27. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुर्नवितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैण्ड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तो एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।

CERTIFIED TRUE COPY

28. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अथारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा ।
29. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यो, सामुदायिक एवं जन-सुविधायें, अवस्थापना सुविधायें, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
30. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग आधारित कियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज़, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवंटन नियमावली, लीज़ डीड, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2010, नोएडा महायोजना-2031(यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की यथावश्यक पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नही किया जायेगा।
31. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधायें एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
32. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधायें, जन सेवायें एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्जेज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू)भी सम्मिलित है ।
33. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आवेदक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा ।
34. यह स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी ।
35. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंग्न है । भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।
36. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनाँक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन पुनरीक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति पर्यावरण सम्बन्धित पुनरीक्षित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी । पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा तक निर्माण नियमानुसार कराया जा सकता है तथा पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा के उपरान्त निर्माण से पूर्व पुनरीक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी ।
37. सभी प्रस्तुत की गयी/की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र यथा - प्रदूषण, पर्यावरण, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, अग्निशमन, एआर पोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र आदि में अंकित सभी प्रतिबन्धों एवं शर्तो का यथावत अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व आबंटी/आवेदक का होगा, जिसका पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त एवं निष्प्रभावी माने जायेगे ।
38. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 21/2012 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा मूल प्रार्थना पत्र सं0 95/2014 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 में दिये गये निर्माण कार्यो हेतु दिशा निर्देशों एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश - 2010 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें ।
39. प्रस्तुत मानचित्र भवन की 30 मी० ऊँचाई तक के लिए स्वीकृत किये जाते है ।
40. प्रस्तावित भवनों की प्रस्तावित ऊँचाई के सम्बन्ध में एआर पोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण के भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर मानचित्रों में उल्लेखित शर्त को निरस्त किया जायेगा तथा संशोधित पत्र एवं मानचित्र बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के निर्गत किये जायेगें ।

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kraft Builders Private Limited

41. ग्रीन बिल्डिंग हेतु नौएडा भवन विनियमावली, 2010 के प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार लीड/ग्रीहा संस्थान से संदर्भित उप विभाजित भूखण्ड का पंजीकरण कराकर प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात ही ग्रीन बिल्डिंग हेतु अतिरिक्त 5% एफ०ए०आर० अनुमन्य किया जायेगा ।
42. आबंटी को ग्रीन भवन हेतु लीड/ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिशियेंसी द्वारा हर तीन वर्ष में आज्ञा पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करना होगा । अगर उसके द्वारा यह प्रमाण पत्र प्राधिकरण में प्रेषित नही किया जाता है तो एक माह के नोटिस पर प्राधिकरण द्वारा उसको निःशुल्क प्रदत्त एफ.ए.आर. का प्रशमन शुल्क क्रय योग्य एफ.ए.आर. का 200% की दर से वसूल किया जायेगा ।
43. संदर्भित प्रकरण में लेबर सेस की धनराशि मानचित्र स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा कराना होगा ।
44. भूखण्ड सं0 एस0सी0-2/ए, सैक्टर - 150,नौएडा के मूल आबंटी संस्था लोटस ग्रीन्स कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 को मूल भूखण्ड के उप विभाजन को पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान में समायोजित कर प्राधिकरण से पुनरीक्षित कराना होगा ।
45. आई0जी0बी0सी0 के सम्बन्ध में ग्रीन बिल्डिंग हेतु देय 5% निःशुल्क एफ0ए0आर0, शासन से अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रदान की जाती है अन्यथा ग्रीन बिल्डिंग हेतु निःशुल्क प्रदान की गयी 5% एफ0ए0आर0 की गणना मूल एफ0ए0आर0 में करते हुए संशोधित मानचित्र स्वीकृत कराने होगे अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

सब लीज भूखण्ड एस0सी0 - 02/ए - 1, सैक्टर - 150, नौएडा पर निर्माण का विवरण

- भूखण्ड का क्षेत्रफल = 83,970.00 वर्ग मी0

- **सबसिडेयरीज के उप विभाजन के अनुसार अनुमन्य भू-आच्छादन**

आवासीय	= 9839.671 वर्ग मी0
वाणिज्यक	= 435.080 वर्ग मी0
स्पोर्ट्स	= 404.864 वर्ग मी0
कुल	**= 10,679.615 वर्ग मी0**

- **प्रस्तावित भू-आच्छादन**

आवासीय	= 9839.671 वर्ग मी0
वाणिज्यक	= 435.080 वर्ग मी0
स्पोर्ट्स	= 404.864 वर्ग मी0
कुल	**= 10,679.615 वर्ग मी0**

- **सबसिडेयरीज के उप विभाजन के अनुसार अनुमन्य एफ0ए0आर0**

आवासीय	= 2,03,605.522 वर्ग मी0
वाणिज्यक	= 435.080 वर्ग मी0
स्पोर्ट्स	= 1523.446 वर्ग मी0
कुल	**= 2,05,564.048 वर्ग मी0**

- **प्रस्तावित एफ0ए0आर0**

आवासीय	= 2,03,605.522 वर्ग मी0
वाणिज्यक	= 435.080 वर्ग मी0
स्पोर्ट्स	= 1523.446 वर्ग मी0
कुल	**= 2,05,564.048 वर्ग मी0**

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited

- घनत्व(डेन्सिटी गणना)

भूखण्ड का क्षेत्रफल = 83,970.00 वर्ग मी0
सबसिडेयरीज के उप विभाजन के अनुसार अनुमन्य ड्वेलिंग यूनिट्स = 2268 यूनिट
कुल प्रस्तावित ड्वेलिंग यूनिट्स = 2268 यूनिट
व्यक्तियों की अनुमन्य संख्या = 2268 X 4.5 = 10206 व्यक्ति
प्रस्तावित = 2268 X 4.5 = 10206 व्यक्ति ।

- पार्किंग का विवरण

कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता आवासीय(2,03,605.522/80) =2545 पार्किंग स्थल
कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता वाणिज्यक (435.080/50) = 9 पार्किंग स्थल
कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता स्पोर्टस (1523.446/50) = 30 पार्किंग स्थल
कुल आवश्यक पार्किंग स्थल = 2584 पार्किंग स्थल
प्रस्तावित पार्किंग स्थल(बेसमेंट)(60,432.701/30) = 2014 पार्किंग स्थल
प्रस्तावित पार्किंग स्थल(स्टिल्ट)(2399.621/30) = 80 पार्किंग स्थल
खुले क्षेत्र में पार्किंग स्थल(10029.0/20) = 501 पार्किंग स्थल
कुल प्रस्तावित पार्किंग स्थल = 2595 पार्किंग स्थल

- **हरित क्षेत्र का विवरण**

भूखण्ड का क्षेत्रफल = 83,970.00 वर्ग मी0
प्रस्तावित भू-आच्छादन = 10,679.615 वर्ग मी0
कुल खुला क्षेत्रफल (83,970.00 - 10,679.615)
= 73,290.385 वर्ग मी0
हरित क्षेत्र की आवश्यकता (खुले क्षेत्र का 50%) = 36,645.1925 वर्ग मी0
प्रस्तावित ग्रीन क्षेत्रफल = 39,077.624 वर्ग मी0
कुल पौधों की आवश्यकता 73,290.385/100 = 732.90.385 = 733 पौधे

आबंटी संस्था द्वारा मानचित्रों में कुल 735 पौधों की संख्या प्रस्तावित की गयी है, जिसमें से 50% पौधे लम्बी अवधी एवं घने छायादार दर्शाये गये है ।

सैटबेक विवरण:-

सैटबेक	अनुमन्य (मी0)	प्रस्तावित (मी0)	
		तहखाना	भवन
अग्र	16.0	10.10	16.0
पृष्ठ	9.0	15.40	9.0
बाई साइड	9.0	6.0	9.0
दाई साइड	9.0	18.15	9.0

CERTIFIED TRUE COPY

तल-वार विवरण

तल	उपयोग	अनुमन्य एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	सर्विस क्षेत्रफल/ 15% (वर्ग मी0)	प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी0)
भूतल/स्टिल्ट	आवासीय	21,600.00	893.422	4560.563
मेजेनाइन तल	आवासीय		75.106	225.776
प्रथम तल	आवासीय		1158.698	5637.609
द्वितीय तल	आवासीय		1205.473	7837.018
तृतीय तल	आवासीय		1205.473	7837.018
चर्तुथ तल	आवासीय		1205.473	7837.018
पंचम तल	आवासीय		1205.473	7837.018
छटवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
सातवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
आठवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
नौवा तल	आवासीय		1205.473	7837.018
दसवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
ग्यारहवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
बारवां तल	आवासीय	शेष एफ0ए0आर0	1205.473	7837.018
तेरहवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
चौदहवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
पन्द्रहवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
सोलहवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
सत्रहवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
अट्ठारहवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
उन्नीसवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
बीसवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
इक्कीसवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
बाइसवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
तैइसवां तल	आवासीय		746.749	4767.366
चौबीसवां तल	आवासीय		746.749	4767.366
पच्चीसवां तल	आवासीय		746.749	4767.366
छब्बीसवां तल	आवासीय		746.749	4767.366
सत्ताइसवां तल	आवासीय		746.749	4767.366
अट्ठाइसवां तल	आवासीय		746.749	4767.366
ममटी व मशीन रूम			1682.151	.....
कुल आवासीय			33,604.804	2,03,605.522
कुल वाणिज्यिक			.....	435.080
कुल स्पोर्टस			94.817	1523.446
कुल		**2,05,564.048**	**33699.621**	**205,564.048**

CERTIFIED TRUE COPY

स्टिल्ट			4385.686	
बेसमेंट			65317.126	
कुल क्षेत्रफल (एफ०ए०आर०, नॉन एफ०ए०आर०, स्टिल्ट व बेसमेंट सहित)	=33,699.621 + 2,05,564.048 + 4,385.686 + 65,317.126 = 3,08,966.481 वर्ग मी0			

टिप्पणी - स्पोर्ट सिटी का अवशेष एफ0ए0आर0 26,428.00 वर्ग मी0 जो संदर्भित योजना के कुल आवासीय एफ0ए0आर0 2,03,605.522 वर्ग मी0 का 12.98% है, का उपयोग आवासीय / ग्रुप हाऊसिंग के उपयोग में स्पोर्ट सिटी के पूर्ण हो जाने के बाद किया जा सकेगा ।

संलग्नक - भवन में स्वीकृत मानचित्र ।

Map for proposed Building ... per Bye Laws. Submitted for approval please.

JE. Arch. Asstt. Arch. Architect

नाम.....................

पद..........(गौड़)

नौएडा

प्रतिलिपिः- विशेष कार्याधिकारी(वाणिज्यक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

CERTIFIED TRUE COPY

Land Kart Builders Private Limited